



Australian Government

Hindi | हिन्दी



myagedcare



रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के लिए आपकी मार्गदर्शिका (गाइड)



नवंबर 2025



कॉमनवेल्थ कोर्ट ऑफ ऑर्स के अलावा और जहां अन्यथा उल्लेख किया गया है, इस दस्तावेज़ में प्रस्तुत सभी सामग्री क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 इंटरनेशनल (**[CreativeCommons.org/Licenses/By/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**) लाइसेंस के तहत प्रदान की गई है।

प्रासंगिक लाइसेंस शर्तों का विवरण क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे दिए गए लिंक का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, साथ ही CC BY 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए पूर्ण कानूनी कोड भी उपलब्ध है। (**[CreativeCommons.org/Licenses/By/4.0/LegalCode](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode/)**)।

इस दस्तावेज़ का श्रेय Department of Health, Disability and Ageing (स्वास्थ्य, विकलांगता और वृद्धावस्था विभाग) को दिया जाना होगा।

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के लिए आपकी मार्गदर्शिका (गाइड)

हमसे संपर्क करें

लाइसेंस और इस दस्तावेज़ के किसी भी उपयोग के संबंध में पूछताछ करने के लिए ईमेल करें: **Communication.AgedCare@health.gov.au**।

आप इस उत्पाद को **[MyAgedCare.gov.au](https://myagedcare.gov.au)** पर पा सकते हैं।

यह पुस्तिका आपको, आपके परिवार या आपके मित्रों को आपकी देखभाल के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करने के लिए तैयार की गई है। इसमें बहुत सारी उपयोगी जानकारी शामिल है, लेकिन निर्णय लेने में सहायता के लिए आपको अधिक शोध करने की आवश्यकता हो सकती है।

जानकारी 1 नवंबर 2025 से वर्तमान है।

क्या यह पुस्तिका आपके लिए उपयुक्त है?

यह पुस्तिका बताती है कि वृद्ध लोग रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के माध्यम से किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) ने आपका आकलन आपको स्वतंत्र बने रहने में सहायता के लिए रेस्टोरेटिव केयर की आवश्यकता होने के तौर पर किया है, तो आपको यह पुस्तिका पढ़नी चाहिए।

आप नीचे सूचीबद्ध अन्य प्रकार की वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सहायता के बारे में पुस्तिकाएं भी **MyAgedCare.gov.au/Resources** पर प्राप्त कर सकते हैं।



यह पुस्तिका:

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे, Support at Home (सपोर्ट ऐट होम) कार्यक्रम के भाग के तौर पर एक अल्पकालिक संबद्ध स्वास्थ्य (अलाएड हेल्थ)/नर्सिंग केन्द्रित पाथवे है। रेस्टोरेटिव केयर आपको अधिक लंबे समय तक स्वतंत्र रहने में मदद कर सकती है और आपको उन गतिविधियों को करने में सहायता कर सकती है जिन्हें करने में आपको आनंद आता है।

और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं: MyAgedCare.gov.au/Restorative-Care-Pathway

घर पर प्रारंभिक स्तर की देखभाल

राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (कामनवेल्थ होम सपोर्ट प्रोग्राम) (CHSP) के माध्यम से निरंतर या अल्पकालिक देखभाल और सहायता सेवाएं। आप घरेलू काम, व्यक्तिगत देखभाल, भोजन और आहार तैयार करने, परिवहन, खरीदारी, फिजियोथेरेपी जैसे अलाइड हेल्थ (संबद्ध स्वास्थ्य) और सोशल स्पॉर्ट (सामाजिक सहायता) में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने देखभालकर्ता को अवकाश देने के लिए योजनाबद्ध राहत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

CHSP 1 जुलाई 2027 से पहले सपोर्ट ऐट होम कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। CHSP निम्न-स्तरीय सहायता आवश्यकताओं वाले वर्तमान और नए ग्राहकों के लिए जारी रहेगा।

घर पर निरंतर देखभाल

Support at Home (सपोर्ट ऐट होम) कार्यक्रम वृद्ध लोगों को स्वस्थ, सक्रिय और अपने समुदाय से सामाजिक रूप से जुड़े रहने में मदद करने के लिए देखभाल और सहायता सेवाओं, उपकरणों और घरेलू संशोधन-कार्यों तक पहुंच प्रदान करता है।

Support at Home (सपोर्ट ऐट होम) उन लोगों के लिए उच्चतर स्तर की देखभाल प्रदान करता है जिनकी आवश्यकताएँ जटिल होती हैं तथा जिन्हें घर पर रहने के लिए और अधिक सहायता की आवश्यकता होती है।

Residential aged care (आवासीय वृद्ध देखभाल)

यदि आप स्वतंत्र रूप से अपने घर में रहने में असमर्थ हैं तो वृद्ध देखभाल गृहों (एज्ड केयर होम) में व्यक्तिगत और नर्सिंग देखभाल। इसमें वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में कम अवधि के लिए आवासीय राहत भी शामिल है।

End-of-Life Pathway (एन्ड-ऑफ़-लाइफ पाथवे) (जीवन के अंत से जुड़ा मार्गपथ)

एन्ड-ऑफ़-लाइफ पाथवे उन वृद्ध लोगों को सहायता प्रदान करता है जिनके लिए यह निदान किया गया है उनके पास जीने के लिए 3 महीने या उससे कम समय बचा है और वे घर पर ही रहना चाहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य या टेरिटरी-आधारित palliative care (प्रशामक देखभाल) योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं के पूरक के रूप में अतिरिक्त in-home (घर पर) वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) प्रदान करना है। यह पाथवे सपोर्ट ऐट होम (Support at Home) कार्यक्रम का एक भाग है।

विषय-वस्तु

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे क्या होता है?	4
रेस्टोरेटिव केयर पाथवे	8
रेस्टोरेटिव केयर तक पहुंच प्राप्त करने का मार्ग	13
1. My Aged Care से संपर्क करें	14
2. वृद्ध देखभाल आकलन (एज्ड केयर असेसमेंट) करवाएं	15
3. सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) पर सहमति जताएं	17
4. अपनी सेवाओं का प्रबंधन करें	19
5. रेस्टोरेटिव केयर पाथवे से बाहर निकलना	21
अधिक सहायता	25

ऑस्ट्रेलिया की वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) प्रणाली में सुधार करना

पिछले कुछ वर्षों में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने Royal Commission into Aged Care Quality and Safety (वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा पर रॉयल आयोग) के जवाब में वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) में बड़े बदलाव किए हैं। इन व्यापक सुधारों से सकारात्मक परिवर्तन आया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में वृद्ध लोगों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की पारदर्शिता बढ़ी है और इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और सहायता सुलभ होनी चाहिए, चाहे आप घर पर रहना चाहें या फिर वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में जाना चाहें।

वृद्ध देखभाल अधिनियम (एज्ड केयर एक्ट) 2024 एज्ड केयर का उपयोग करने वाले वृद्ध लोगों के लिए और अधिक सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाना, वृद्ध लोगों को उनकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) में अधिक विश्वास, नियंत्रण और आत्मविश्वास दिलाना सुनिश्चित करने के लिए नियमन शामिल हैं।

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे क्या होता है?

यह पुस्तिका रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के बारे में है, जो आपको फिर से स्वतंत्रता हासिल करने या इसे बनाए रखने में मदद करने का एक अल्पकालिक मार्ग है।

रेस्टोरेटिव केयर (पुनर्स्थापनात्मक देखभाल) दैनिक कार्य कर पाने में सुधार लाने तथा और अधिक गहन, निरंतर देखभाल की आवश्यकता को कम करने पर केंद्रित है - ताकि आप अपनी पसंद की गतिविधियां करना जारी रख सकें।

इस पाथवे (मार्ग) को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जिससे:

- घर पर चल रही देखभाल, या उच्च देखभाल में जाने की आवश्यकता को विलंबित किया जा सके या टाला जा सके
- आपको अपने दैनिक कार्यकलापों को फिर से स्वयं करने में सहायता मिले
- नई या बदलती आयु-संबंधी स्थितियों का प्रबंधन किया जाए
- पुनर्वास शिक्षा के माध्यम से आपको लंबे समय तक स्वतंत्र रहने के तरीके सिखाए जाएं।

आपके वृद्ध देखभाल आकलन (एज्ड केयर असेसमेंट) के दौरान, आपका आकलनकर्ता आपसे बात करके यह निर्णय लेगा कि क्या रेस्टोरेटिव केयर से आपको स्वतंत्र रहने में मदद मिल सकती है। यदि ऐसा है, तो आप लक्ष्य निर्धारित करने, योजना विकसित करने और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक रेस्टोरेटिव केयर प्रदाता के साथ काम करेंगे।



यदि आप पात्र हैं, तो आपको नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य (अलाइड हेल्थ) जैसी समन्वित और गहन नैदानिक सेवाएं प्राप्त होंगी।

प्रत्येक एपिसोड (प्रकरण) के लिए 6,000 डॉलर तक का वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। आप 12 महीने की अवधि में दो बार (कुल 12,000 डॉलर तक) इस फंडिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आप निम्न में से किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं:

- वर्ष की विभिन्न अवधियों में 2 अलग-अलग एपिसोड्स (प्रकरणों) (गैर-निरंतर) में, या
- यदि वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है तो 16 सप्ताह की एकल अवधि के भीतर 2 यूनिट्स के वित्तपोषण के रूप में।

यदि आपको गैर-लगातार एपिसोड्स (प्रकरणों) तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो आपको मूल एपिसोड के पूरा होने से कम से कम 3 महीने तक इंतजार करना होगा।

रेस्टोरेटिव केयर प्राप्त करने के लिए अवकाश संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।



पाथवे (मार्ग) के बारे में

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के माध्यम से, आप विशिष्ट लक्ष्यों या परिणामों को प्राप्त करने पर केंद्रित, लगातार 16 सप्ताह तक गहन संबद्ध स्वास्थ्य (अलाइड हेल्थ) सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस पाथवे (मार्ग) में सक्रिय भागीदारी और प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जबकि आप अधिक स्वतंत्रता के लिए कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। इससे आपको वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सहायता की उच्चतर आवश्यकता को टालने में मदद मिलती है।

इस पाथवे (मार्ग) में संबद्ध स्वास्थ्य (अलाइड हेल्थ) और/या नर्सिंग पेशेवरों के एक समूह से सहायता मिलनी शामिल है, जिसे बहु-विषयक टीम (multidisciplinary team, MDT) के रूप में जाना जाता है। आपका व्यक्तिगत MDT समूह कई अलग-अलग स्वास्थ्य पेशेवरों से मिलकर बनेगा, जैसे कि:

- एक फिजियोथेरेपिस्ट
- एक व्यावसायिक चिकित्सक (ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट)
- एक नर्स
- एक पोडियाट्रिस्ट
- एक आहार विशेषज्ञ (डाइटिशियन)।

एक चिकित्सा पेशेवर (जैसे डॉक्टर या विशेषज्ञ) टीम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। यदि आपको डॉक्टर से मिलना है, तो मेडिकेयर कुछ लागतों को वहन कर सकता है - या आपको स्वयं इसका भुगतान करना पड़ सकता है।

गैर-संबद्ध स्वास्थ्य (नॉन-अलाइड हेल्थ) और नर्सिंग सेवाओं का उपयोग केवल निर्दिष्ट लक्ष्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।

उपलब्ध सेवाएं

इस पाथवे (मार्ग) के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का प्रकार आपकी निर्धारित आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। सेवाओं का चयन आपके इनपुट (सहयोग) के साथ किया जाएगा, लेकिन इन सेवाओं का सपोर्ट ऐट होम सेवा सूची से होना ज़रूरी है।

सपोर्ट ऐट होम सेवा सूची में क्या उपलब्ध है, इसके बारे में और अधिक जानें:

[Health.gov.au/Support-at-Home-Service-List](https://www.health.gov.au/support-at-home-service-list)

यदि आपका वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) यह निर्धारित करता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो सहायक प्रौद्योगिकी (असिस्टिव टेक्नोलॉजी) और छोटे-मोटे घरेलू संशोधन कार्य भी आपके रेस्टोरेटिव केयर के भाग के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं। इसे सहायक प्रौद्योगिकी और गृह संशोधन (Assistive Technology and Home Modifications) (AT-HM) योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

AT-HM योजना के बारे में और अधिक जानें: **[MyAgedCare.gov.au/Aged-Care-Programs/Assistive-Technology-And-Home-Modifications-Scheme](https://www.myagedcare.gov.au/aged-care-programs/assistive-technology-and-home-modifications-scheme)**

यदि आप पहले से ही सपोर्ट ऐट होम सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो भी आप रेस्टोरेटिव केयर पाथवे का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गिरने की घटना से रिकवर करने अर्थात् ठीक होने के लिए आप घर की साफ-सफाई जैसी सपोर्ट ऐट होम सेवाएँ प्राप्त करते हुए भी संबद्ध स्वास्थ्य (अलाइड हेल्थ) सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

हालाँकि, आपकी सेवाएँ केवल एक सपोर्ट ऐट होम प्रदाता द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं - आप जारी सेवाओं और रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के लिए दो अलग-अलग प्रदाताओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपका वर्तमान प्रदाता रेस्टोरेटिव केयर पाथवे प्रदान नहीं करता है, तो आपको अपनी जारी सेवाओं और रेस्टोरेटिव सेवाओं दोनों के लिए प्रदाता को बदलने की आवश्यकता होगी।

पात्रता संबंधी अपवाद

आप रेस्टोरेटिव केयर प्राप्त करने के लिए पात्र **नहीं** हैं यदि आप:- एन्ड

- - ऑफ़-लाइफ पाथवे प्राप्त कर रहे हैं या इसे प्राप्त करने के पात्र हैं (या आपको प्रशामक देखभाल [पैलीएटीव केयर] की आवश्यकता है)
- आपने पिछले 12 महीनों में सपोर्ट ऐट होम रेस्टोरेटिव केयर के लिए फंडिंग के दो अलग-अलग एपिसोड्स (प्रकरणों) या दो यूनिट्स का उपयोग किया है
- (या पिछले 90 दिनों में रेस्टोरेटिव केयर पाथवे प्राप्त किया है)
- - संक्रमण देखभाल कार्यक्रम सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करने के पात्र हैं (अस्पताल या इसी तरह के किसी स्थान पर निवास कर रहे हैं) - स्थायी आवासीय वृद्ध देखभाल प्राप्त कर रहे हैं।



रेस्टोरेटिव केयर पाथवे की लागत

आपको कुछ सेवाओं की लागत में योगदान देना होगा, जबकि अन्य सेवाएं निःशुल्क होंगी।

आपसे केवल उन सेवाओं में योगदान देने के लिए कहा जाएगा जो आपको मिली हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने परिवहन सेवा प्राप्त की है, तो आप कुल लागत के एक हिस्से का योगदान देंगे।

सरकार नर्सिंग और फिजियोथेरेपी जैसी नैदानिक देखभाल को पूरी तरह वित्तपोषित करेगी। इन सेवाओं के लिए आपको कोई योगदान देने की आवश्यकता नहीं होगी।

आपसे कितना योगदान देने के लिए कहा जाएगा, यह सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया द्वारा आपकी आय और परिसंपत्तियों के किए गए मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। आपका प्रदाता आपके योगदानों को समझने में आपकी सहायता कर सकता है। यह आपकी आयु पेंशन की स्थिति और इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या आपके पास कॉमनवेल्थ सीनियर्स हेल्थ कार्ड (CSHC) है या नहीं।

यह तालिका मानक सपोर्ट ऐट होम कार्यक्रम योगदानों का सारांश प्रस्तुत करती है:

	नैदानिक सहायता	स्वतंत्रता	रोज़मर्रा का रहन-सहन
पूर्ण पेंशनभोगी	0%	5%	17.5%
आंशिक पेंशनभोगी	0%	आंशिक पेंशनभोगी और CSHC धारक अपनी आय और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर 5% से 50% के बीच भुगतान करेंगे । आंशिक पेंशनभोगियों के लिए यह उनकी आयु पेंशन से जुड़े वित्तीय आकलन (means assessment) पर आधारित होगा। CSHC धारकों को सपोर्ट ऐट होम के लिए एक अलग मूल्यांकन करवाना होगा।	आंशिक पेंशनभोगी और CSHC धारक अपनी आय और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर 17.5% से 80% के बीच भुगतान करेंगे । आंशिक पेंशनभोगियों के लिए यह उनकी आयु पेंशन से जुड़े वित्तीय आकलन (means assessment) पर आधारित होगा। CSHC धारकों को सपोर्ट ऐट होम के लिए एक अलग मूल्यांकन करवाना होगा।
स्व-वित्तपोषित सेवानिवृत्त व्यक्ति (कॉमनवेल्थ सीनियर्स हेल्थ केयर कार्ड - CSHC के लिए पात्र)	0%		
स्व-वित्तपोषित सेवानिवृत्त व्यक्ति (कॉमनवेल्थ सीनियर्स हेल्थ कार्ड के लिए पात्र नहीं)	0%	50%	80%

12 सितम्बर 2024 तक होम केयर पैकेज प्राप्त करने वाले या इसके लिए स्वीकृत होने वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएँ हैं। और अधिक जानकारी के लिए, MyAgedCare.gov.au/Support-Home-Costs-And-Contributions पर जाएं।

आजीवन सीमा (लाइफटाइम कैप)

योगदानों पर आजीवन सीमा लागू है। इसका अर्थ यह है कि \$130,000 (सूचीबद्ध) का योगदान कर देने के बाद आपको किसी भी सपोर्ट ऐट होम सेवा में योगदान नहीं करना पड़ेगा। यहां तक कि यदि आप बाद में वृद्ध देखभाल गृह (एज्ड केयर होम) में चले जाते हैं, तो भी सपोर्ट ऐट होम सेवाओं के लिए दिए गए किन्हीं योगदानों की गिनती इस सीमा (कैप) में की जाएगी।

अतिरिक्त जानकारी के लिए Health.gov.au/Resources/Publications/Support-At-Home-Program-Participant-Contributions पर सपोर्ट ऐट होम प्रतिभागी योगदान तथ्यपत्र पढ़ें।

मैं आय एवं परिसंपत्ति का मूल्यांकन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

यदि आप पहले से ही सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया या वेटेरन्स अफेयर्स विभाग (DVA) से पूर्ण या आंशिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको आय और परिसंपत्ति मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित एजेंसी आपके योगदान का निर्धारण करने के लिए मौजूदा वित्तीय जानकारी का उपयोग करेगी। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं शुरू किए जाने से पहले आपके वित्तीय विवरण अप-टु-डेट हैं।

यदि आपको पेंशन नहीं मिलती है या आप स्वयं वित्तपोषित सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, तो आय और परिसंपत्ति मूल्यांकन के आधार पर आपके योगदानों का निर्धारण किया जाएगा। यदि आप आवेदन नहीं करते हैं, तो आपका प्रदाता आपसे तब तक अधिकतम लागत का भुगतान करने के लिए कह सकता है जब तक कि आजीवन सीमा प्राप्त नहीं हो जाती है।

सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ServicesAustralia.gov.au/Aged-Care-Calculation-Your-Cost-Care पर जाकर यह पुष्टि करें कि क्या आपको वित्तीय आकलन (means assessment) पूरा करना चाहिए।

यदि आपको वित्तीय आकलन (means assessment) को समझने या पूरा करने में सहायता की आवश्यकता है तो:

- सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया को **1800 227 475**, पर निःशुल्क कॉल करें, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच।
- सामान्य जानकारी और सहायता के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर पर जाएं या आमने-सामने की निःशुल्क मुलाकात ऑनलाइन बुक करें। गहन सहायता के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ अधिकारी (एज्ड केयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर) हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, या वीडियो चैट का उपयोग कर सकते हैं। ServicesAustralia.gov.au/My-Aged-Care-Face-To-Face-Services पर जाएं या **1800 227 475** पर निःशुल्क कॉल करें।

*My Aged Care से निःशुल्क कॉल **1800 200 422** पर संपर्क करें।*

***MyAgedCare.gov.au** पर जाएं या किसी भी *Services Australia* सेवा केंद्र पर जाएं*

सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया द्वारा आपके योगदानों का निर्धारण किए जाने के बाद, आपको और आपके प्रदाता को एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले योगदानों की जानकारी दी गई होगी। यदि आपके पास अभी तक कोई प्रदाता नहीं है, तो आपको आपकी आय और परिसंपत्ति के मूल्यांकन के साथ एक पत्र भेजा जाएगा। यह 120 दिनों के लिए वैध होता है। यदि आप इस समयावधि के भीतर प्रदाता का चयन नहीं करते हैं या यह पत्र उन्हें नहीं देते हैं, तो आपको आय और परिसंपत्ति का नया मूल्यांकन कराना होगा। यदि आपको पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप **1800 227 475** पर Services Australia से संपर्क कर सकते/ती हैं और अपनी आय और संपत्ति मूल्यांकन की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी मांग सकते/ती हैं।

यदि आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, तो आपको यथाशीघ्र सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया को सूचित करना होगा। आपके योगदानों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि इससे वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) लागत के लिए आपके द्वारा किए जाने भुगतान की राशि में परिवर्तन हो सकता है। **ServicesAustralia.gov.au/Changes-To-Your-Circumstances-And-Aged-Care-Costs** पर जाएं।

वित्तीय जानकारी और शिक्षा

अपने वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) के लिए भुगतान करने के तरीके का निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र वित्तीय सलाह लेना एक अच्छा विचार है। इसके अलावा, यदि आपको और आपके जीवनसाथी (पार्टनर) दोनों को वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) की आवश्यकता है, तो भुगतान करने का आपका प्रत्येक तरीका दूसरे व्यक्ति के वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) शुल्क और योगदान को प्रभावित कर सकता है।

वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) शुल्क और योगदानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर पर जाएं या सामान्य जानकारी और सहायता के लिए आमने-सामने की निःशुल्क मुलाकात के लिए ऑनलाइन बुकिंग करें।

गहन सहायता के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ अधिकारी (एज्ड केयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर) हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, या वीडियो चैट का उपयोग कर सकते हैं। **ServicesAustralia.gov.au/My-Aged-Care-Face-To-Face-Services** पर जाएं या **1800 227 475** पर निःशुल्क कॉल करें।

आप सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय सूचना सेवा से अपने वित्त प्रबंधन के बारे में बुनियादी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह निःशुल्क सेवा आपकी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए निवेश और वित्तीय मामलों के बारे में सोचे-समझे निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकती है। **ServicesAustralia.gov.au/Financial-Information-Service** पर जाएं।

प्रदाता क्या शुल्क ले सकते हैं

रेस्टोरेटिव केयर सेवाओं के मूल्यों में सेवा प्रदान करने की लागत दर्शाई जानी आवश्यक है, इसमें कोई भी प्रशासनिक या यात्रा शुल्क शामिल है। ये मूल्य उचित एवं न्यायसंगत होने आवश्यक हैं।

आपसे केवल उन सेवाओं के लिए ही शुल्क लिया जा सकता है जो आपने प्राप्त की हैं तथा चिकित्सीय देखभाल के लिए या किसी प्रदाता के साथ अनुबंध (समझौता) करने और उससे बाहर निकलने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

प्रदाता को विशिष्ट सेवाओं के लिए अपने मूल्यों की व्याख्या करने और आपके सेवा अनुबंध में इन्हें दर्ज करने में सक्षम होना होगा।

यदि कीमतें या सेवाएँ बदलती हैं, तो आपको या आपके पंजीकृत सहयोगकर्ता को परिवर्तन से सहमत होना होगा और एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा (यदि पहले से सहमति नहीं हुई हो तो)। यदि आप मूल्य निर्धारण से सहमत नहीं हैं, तो आपको समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है - लेकिन रेस्टोरेटिव केयर पाथवे प्राप्त करने के लिए एक समझौते का होना आवश्यक है।

सपोर्ट ऐट होम की सांकेतिक मूल्य सूची यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि क्या प्रदाता की कीमतें उचित हैं या नहीं: **[Health.gov.au/Resources/Publications/Summary-Of-Indicative-Support-At-Home-Prices](https://www.health.gov.au/resources/publications/summary-of-indicative-support-at-home-prices)**।

प्रदाता लागतें My Aged Care वेबसाइट पर 'Find a provider' टूल पर भी उपलब्ध हैं: **[MyAgedCare.gov.au/Find-A-Provider](https://www.mylagedcare.gov.au/find-a-provider)**।

'सपोर्ट ऐट होम के मूल्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण - प्रतिभागियों के लिए तथ्य पत्रक' में उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षणों के बारे में और अधिक जानें: **[Health.gov.au/Resources/Publications/Consumer-Protections-For-Support-At-Home-Prices-Fact-Sheet-For-Participants](https://www.health.gov.au/resources/publications/consumer-protections-for-support-at-home-prices-fact-sheet-for-participants)**।



मैं अपने योगदानों का भुगतान कैसे करूँगा?

आपको अपने प्रदाता से बात करनी चाहिए कि आपको अपनी सेवाओं के लिए योगदानों का भुगतान कब और कैसे करना होगा। ये भुगतान साप्ताहिक, पाक्षिक (हर दो सप्ताह बाद) या मासिक तौर पर हो सकते हैं - या आप अपने प्रदाता से किसी अन्य भुगतान आवृत्ति के लिए पूछ सकते हैं। आपके सेवा अनुबंध में यह भी बताया जाना चाहिए कि आपको भुगतान कैसे और कब करना है।

यदि आप अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से अपने योगदान देने में असमर्थ हैं, तो आप वित्तीय कठिनाई सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, **MyAgedCare.gov.au/Financial-Hardship-Assistance** पर जाएँ।

आप इस पुस्तिका के अंत में *अतिरिक्त जानकारी* अनुभाग पर भी जा सकते हैं।

रेस्टोरेटिव केयर तक पहुंच प्राप्त करने का मार्ग

1

My Aged Care से संपर्क करें

2

वृद्ध देखभाल आकलन (एज्ड केयर असेसमेंट) करवाएं

3

Support plan (सहायता योजना) पर सहमति जताएं

4

अपनी सेवाओं का प्रबंध करें

5

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे से बाहर निकलें



My Aged Care से निःशुल्क कॉल **1800 200 422** पर संपर्क करें।

MyAgedCare.gov.au पर जाएँ या किसी भी Services Australia सेवा केंद्र पर जाएँ

My Aged Care वह स्थान है जहां आप ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा वित्तपोषित वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। आप My Aged Care तक ऑनलाइन, फोन पर या व्यक्तिगत रूप से पहुँच सकते हैं।

वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं पाने के लिए आपको आकलन करवाना होगा। यदि आपका पहले से आकलन नहीं हुआ है, तो आप तीन तरीकों से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र (फॉर्म) का उपयोग करना शीघ्र एवं आसान है। आप आवेदन करने से पहले पात्रता जांचकर्ता का भी उपयोग कर सकते हैं।

MyAgedCare.gov.au/Apply-Online पर जाएं।

टेलीफोन द्वारा

अपनी आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए My Aged Care को कॉल करें और फोन पर आकलन के लिए आवेदन पूरा करें। संपर्क केंद्र सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है।

फ्रीकॉल **1800 200 422**।

निजी रूप से

सामान्य जानकारी और सहायता के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर पर जाएं या निःशुल्क व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक करें।

गहन सहायता के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई वृद्ध देखभाल विशेषज्ञ अधिकारी (एज्ड केयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर) हो तो आप उससे बात कर सकते हैं, या वीडियो चैट का उपयोग कर सकते हैं।

ServicesAustralia.gov.au/My-Aged-Care-Face-To-Face-Services पर जाएं।

सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं।

फ्रीकॉल **1800 227 475**।

आकलन के दौरान, आपसे आपकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में पूछा जाएगा। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप क्या काम अच्छे से कर सकते हैं, किन कार्यों में आपको मदद की आवश्यकता है और आप क्या करने में सक्षम होना चाहते हैं।

आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री (चिकित्सीय इतिहास) के बारे में पूछा जा सकता है - मेडिकल रिकॉर्ड या रिपोर्ट्स आपके मूल्यांकनकर्ता के निर्णय को सूचित करने में मदद कर सकते हैं यदि आप इन्हें प्रदान करने की सहमति दें तो।

आपके मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के दौरान पहचान की गई आपकी आवश्यकताओं के आधार पर आपके साथ विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसमें रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के लिए आपकी पात्रता भी शामिल है। आप यह भी विचार कर सकते हैं कि क्या आपका वर्तमान सपोर्ट ऐट होम प्रदाता रेस्टोरेटिव केयर पाथवे प्रदान करता है, या क्या आपको एक नए प्रदाता की खोज करने की आवश्यकता है।

आपके मूल्यांकन के बाद, आपके मूल्यांकन संगठन का एक प्रतिनिधि यह निर्णय लेगा कि आप किन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको निर्णय की सूचना का पत्र प्राप्त होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि आपको किन सेवाओं के लिए स्वीकृति दी गई है। यदि आपको सेवाओं के लिए स्वीकृति दी गई है, तो आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) को आपके पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) आपको अपनी क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने या इनमें आगे की गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक देखभाल का मार्गदर्शन करेगी।

यदि आपको 4 सप्ताह के भीतर निर्णय की सूचना या सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) प्राप्त नहीं होती है, तो My Aged Care को **1800 200 422** पर कॉल करें या अपने मूल्यांकन संगठन से संपर्क करें।

मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सहायता

आप चाहें तो आकलन के समय अपने किसी पारिवारिक सदस्य, मित्र या देखभालकर्ता को अपनी सहायता करने के लिए बुला सकते हैं।

आपका सहायक व्यक्ति आपका पंजीकृत सहयोगकर्ता हो सकता है - आपके निर्णय लेने में सहायता देते समय उनके कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। इस संसाधन के अतिरिक्त जानकारी अनुभाग में पंजीकृत सहयोगकर्ताओं के बारे में और अधिक जानें।

यदि आप एबोरिजनल और/या टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर वृद्ध व्यक्ति हैं, तो आप आकलन के समय अपनी सहायता के लिए या आपकी ओर से बोलने के लिए एक Elder Care Support (एल्डर केयर सपोर्ट) कार्यकर्ता के होने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।

यदि आपको अनुवादक या दुभाषिण की आवश्यकता है तो आपको अपने मूल्यांकन से पहले अपने मूल्यांकनकर्ता को बताना चाहिए - आपकी सहायता के लिए वे निःशुल्क सेवाओं का आयोजन कर सकते हैं।

यदि व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है, तो आपका वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) टेलीफोन या वीडियो मीटिंग मूल्यांकन की व्यवस्था कर सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब आप किसी दूरस्थ क्षेत्र (रिमोट एरिया) में हों या कोई असाधारण परिस्थितियाँ हों (जैसे कि मौसम संबंधी घटना)।

आकलन से जुड़ी शिकायतें

यदि आपको अपने मूल्यांकन के बारे में कोई चिंताएँ हैं, तो सबसे पहले अपने वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) से बात करने का प्रयास करें। वृद्ध देखभाल आकलन (एज्ड केयर असेसमेंट) संगठनों के पास शिकायत प्रक्रियाएं मौजूद हैं और वे आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेंगे।

यदि आप और वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, या आप सीधे उनसे संपर्क करने में असहज महसूस करते हैं, तो फ्रीकॉल **1800 200 422** पर My Aged Care से संपर्क करें।

आप किसी निर्णय के विरुद्ध अपील या शिकायत भी कर सकते हैं। और अधिक जानने के लिए इस संसाधन का *अतिरिक्त जानकारी* अनुभाग देखें।

आपके मूल्यांकन के दौरान, आपका मूल्यांकनकर्ता आपके साथ मिलकर एक व्यक्तिगत सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) विकसित करेगा। आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएगी, तथा इसे आपकी स्वतंत्रता तथा जीवन की गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए तैयार किया जाएगा। आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) में यह बताया जाएगा कि आपको किन सेवाओं के लिए स्वीकृति दी गई है।

यदि रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के लिए स्वीकृति मिल जाती है, तो आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) का उपयोग आपके प्रदाता द्वारा आपके रेस्टोरेटिव केयर एपिसोड (प्रकरण) से को समझने में आपकी सहायता करने हेतु एक लक्ष्य योजना विकसित करने के लिए किया जाएगा।

यदि आप पहले से ही निरंतर सपोर्ट ऐट होम सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको यह जांच करनी चाहिए कि क्या आपका प्रदाता रेस्टोरेटिव केयर पाथवे प्रदान करता है। यदि नहीं, तो हो सकता है कि आपको किसी दूसरे प्रदाता की खोज करनी पड़े, क्योंकि सपोर्ट ऐट होम सेवाएं केवल एक ही प्रदाता द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।

यदि आपको पहले से ही निरंतर सपोर्ट ऐट होम सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो आपको अपनी स्वीकृति मिलने के 56 दिनों के भीतर, या विस्तार के साथ 84 दिनों के भीतर किसी प्रदाता का चयन करना होगा। प्रदाता का चयन करते समय आपको यह विचार करना चाहिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल है:

- क्या उनके पास ऐसे कर्मचारी हैं जो मेरी पसंदीदा भाषा बोलते हैं?
- क्या वे मेरी सांस्कृतिक या धार्मिक विचारधाराओं को समझते हैं? क्या वे मुझे सांस्कृतिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में मदद कर सकते हैं?
- क्या वे मेरे लक्ष्यों तक पहुंचने और मेरी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मेरे साथ काम करेंगे?
- वे सेवाओं के लिए क्या शुल्क लेते हैं?
- क्या मैं सेवाएं प्राप्त करने के लिए विशिष्ट दिन या समय का निवेदन कर सकता हूँ?
- क्या मैं यह चयन कर सकता हूँ कि कौन से कर्मचारी मेरी सेवाएं प्रदान करेंगे?

अपने मित्रों, परिजनों या डॉक्टर से इस बारे में बात करने की कोशिश करें कि वे किसकी सिफारिश करते हैं। आपके स्थानीय बहुसांस्कृतिक समूह, एबोरिजनल (आदिवासी) और टोरेस स्ट्रेट द्वीप वासी संगठन या सामुदायिक समूह के पास भी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बन्धित मूल्यवान सलाह हो सकती है।

लक्ष्य निर्धारित करना

आपके प्रदाता के पास रेस्टोरेटिव केयर पाथवे के तहत आपकी देखभाल के लिए एक समर्पित स्टाफ सदस्य होगा - इस व्यक्ति को **रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर** कहा जाता है। वे एक योग्यता-प्राप्त नर्सिंग या संबद्ध स्वास्थ्य (अलाइड हेल्थ) पेशेवर होंगे जो लक्ष्यों की योजना बनाने, सेवाओं का प्रबंधन करने और निर्णय लेने में आपकी मदद करते हैं, और आपको यह सीखने में सहायता देते हैं कि आप कैसे यथासंभव लंबे समय तक स्वतंत्र बने रहने में अपनी मदद कर सकते हैं।

आपका रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) का उपयोग करके एक **लक्ष्य योजना** का निर्माण करने के लिए आपके साथ काम करेगा। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापनीय और 16 सप्ताह तक की अल्पावधि में हासिल किए जाने योग्य चाहिए। आपका रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर आपकी लक्ष्य योजना की नियमित समीक्षा करने में आपकी सहायता करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी सेवाएं और सहायताएँ अभी भी आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर रही हैं। वे आपकी योजना को समायोजित करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं या आवश्यकतानुसार जारी सेवाओं की व्यवस्था करने में भी आपकी सहायता कर सकते हैं। आपकी लक्ष्य योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि इससे आपको फिर से कार्यशील बनने में सहायता मिले तथा आपको यह सीखने में मदद मिले कि स्वतंत्र कैसे बने रहना है।

इन्हें आपकी लक्ष्य योजना में दस्तावेजी रूप दिया जाएगा, साथ ही इन्हें प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए आपको मिलने वाली सेवाओं को भी इसमें दस्तावेजी रूप दिया जाएगा।

आपकी लक्ष्य योजना/ सेवा अनुबंध में निम्नलिखित शामिल होगा:

- एपिसोड (प्रकरण) की शुरुआत और अनुमानित समाप्ति तिथि
- आपकी ज़रूरतें, लक्ष्य, प्राथमिकताएँ और मौजूदा सहायता
- अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए आपको मिलने वाली किन्हीं दूसरी सेवाओं या सहायताओं की सूची
- आपके मूल्यांकन में पहचान किए गए कोई जोखिम
- रेस्टोरेटिव केयर प्रबंधन सहित प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, साथ ही इनकी आवृत्ति (बारंबारता) और अपेक्षित तिथियां
- आपके व्यक्तिगत रूप से तैयार बजट तक पहुंच
- नियमित समीक्षा विवरण
- पाथवे (मार्ग) से बाहर निकलने की आपकी योजना क्या है।

आपका रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर आपकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से आपसे संपर्क करेगा और यह चर्चा करेगा कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में किस प्रकार काम कर रहे हैं। वे सहायता प्रदान कर सकते हैं तथा समस्याएँ और जोखिम उत्पन्न होने पर उनका समाधान कर सकते हैं।

वे आपके लिए ऐसे विकल्पों का सुझाव भी दे सकते हैं जो रेस्टोरेटिव केयर पाथवे का हिस्सा नहीं हैं, जैसे कि आपकी स्वतंत्रता में सहयोग करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य या व्यायाम कार्यक्रम।

सेवा प्रदाताओं से क्या अपेक्षा करें

आपकी बहु-विषयक टीम और सेवा प्रदाताओं को आपको यथासंभव अधिक से अधिक कार्य करने में तथा आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करनी चाहिए।

उन्हें वे सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जिनके प्रदान करने के लिए वे पंजीकृत हैं, जो कि आपकी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हों, तथा उन्हें आपके, आपके परिवार, मित्रों और देखभालकर्ताओं के साथ साझेदारी में काम करना चाहिए। उन्हें आपकी मान्यताओं, संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करना होगा। प्रदाताओं को केवल वही सेवाएं प्रदान करनी होंगी जिनके लिए आपकी सहायता योजना (सपोर्ट प्लान) में आपको स्वीकृति दी गई है।

देखभाल की बदलती ज़रूरतें

रेस्टोरेटिव केयर पाथवे को लम्बी-अवधि की देखभाल के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। यदि आपकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं या हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो आपको अपने रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर से बात करनी चाहिए। यदि आपकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, जैसे गिरनी की घटना या किसी अन्य घटना का होना, जिससे आपके रेस्टोरेटिव केयर एपिसोड (प्रकरण) में आपकी भागीदारी पर असर पड़ता है, तो आपको अपने रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर को इसकी सूचना देनी चाहिए।

यदि आपके प्रदाता या रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर को लगता है कि आपकी ज़रूरतें बदल गई हैं या हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं, तो वे भी आपसे बात कर सकते हैं।

एक बार जब आपकी नई आवश्यकताओं के बारे में जानकारी स्पष्ट हो जाएगी, तो आपको आपके लिए सबसे उपयुक्त देखभाल और सेवाओं के बारे में विकल्प दिए जाएंगे। इसमें जारी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं शामिल हो सकती हैं। इसका अर्थ यह होगा कि पुनर्मूल्यांकन किए जाने का अनुरोध करना होगा।

प्रदाता बदलना

आप किसी भी समय प्रदाता बदल सकते हैं। यदि आप अपना प्रदाता बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने वर्तमान प्रदाता से बात करनी चाहिए। प्रदाता बदलने के लिए आपसे कोई प्रवेश या निकास शुल्क नहीं लिया जा सकता है। रेस्टोरेटिव केयर पाथवे में अवकाश से जुड़े प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए प्रदाता बदलते समय आपको अपने एपिसोड (प्रकरण) की समाप्ति तिथि पर विचार करना होगा।

देखभाल प्रबंधन

आपके रेस्टोरेटिव केयर बजट में आपके प्रदाता द्वारा देखभाल प्रबंधन से जुड़े खर्च लागू किए जाएंगे। देखभाल प्रबंधन में लक्ष्य नियोजन, बजट प्रबंधन, आपकी प्रगति का मूल्यांकन और क्षमता को फिर से प्राप्त करने में आपकी सहायता करना शामिल हो सकता है। इसमें स्वतंत्र रहने तथा अपनी देखभाल के बारे में सोचे-समझे निर्णय लेने के बारे में और अधिक जानने में आपकी सहायता करने के लिए सहायता दिया जाना भी शामिल हो सकता है।

ये गतिविधियाँ आमतौर पर आपके रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर द्वारा की जाती हैं।



आपका रेस्टोरेटिव केयर पार्टनर एक **निकास योजना** में इस पाथवे (मार्ग) से बाहर निकलने की योजना बनाने में आपकी मदद करेगा। इस योजना की शुरुआत आपके एपिसोड (प्रकरण) के शुरू में होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- प्राप्त सेवाएं
- नियोजित लक्ष्य और क्या वे पूरे किए गए
- आपकी बहु-विषयक टीम की ओर से कोई अनुशंसाएँ
- क्या आपको पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है या आपको आगे सहायता की आवश्यकता नहीं है।

आपको अपनी निकास योजना की प्रति अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में यदि आपको निरंतर देखभाल की आवश्यकता होगी या आप दूसरी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाओं का उपयोग करने का चयन करेंगे तो यह आपके लिए उपयोगी हो सकती है।

जब आप रेस्टोरेटिव केयर पाथवे से बाहर निकलते हैं, तो यदि आपकी देखभाल की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, तो आपको पुनःमूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इसमें जारी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करना शामिल हो सकता है।

यदि आप पहले से ही जारी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे यह निर्धारित होगा कि क्या आपको उच्च वर्गीकरण की आवश्यकता है या नहीं।

आपके कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियाँ

वृद्ध देखभाल अधिनियम के तहत, आपके अधिकार आपकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) का केन्द्र होते हैं। यदि आप वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आपके अधिकारों को बनाए रखा जाएगा और आपकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, चाहे आप घर पर स्वतंत्र रूप से रह रहे हों या आवासीय देखभाल में रह रहे हों।

स्टेटमेंट ऑफ़ राइट्स (अधिकारों का बयान)

वृद्ध देखभाल अधिनियम (एज्ड केयर एक्ट) में स्टेटमेंट ऑफ़ राइट्स (अधिकारों का एक वक्तव्य) शामिल है।

स्टेटमेंट ऑफ़ राइट्स आपके अधिकारों को आपकी वृद्ध देखभाल के केंद्र में रखता है - ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि आप कैसे और कहाँ रहेंगे, आपको आवश्यक जानकारी और सहायता मिले, आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें और आपकी संस्कृति और पहचान का सम्मान किया जा सके। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि आपके परिवार और देखभालकर्ताओं सहित आपके आस-पास के लोग न केवल आपकी पसंदों को स्वीकार करते हैं बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं।

आपको यह चुनने का भी अधिकार होगा कि आप इन निर्णयों को लेने में किससे सहायता चाहते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Know-Your-Rights**।

पंजीकृत सहयोगकर्ता

आपको अपने निर्णय लेने और इनके बारे में बात करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप चाहें तो जानकारी को समझने और अपनी इच्छाओं को बताने में सहायता के लिए आप सहयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर सकते हैं।

नई पंजीकृत सहयोगकर्ता भूमिका मौजूदा My Aged Care प्रतिनिधि संबंधों का स्थान लेगी तथा यह पूरी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) प्रणाली पर लागू होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके मौजूदा My Aged Care प्रतिनिधि पंजीकृत समर्थक के रूप में बने रहें तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने प्रतिनिधियों की जांच करने या उन्हें अपडेट करने या नाम वापस लेने के लिए, My Aged Care पर ऑनलाइन जाएँ या **1800 200 422** पर निःशुल्क कॉल करें।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Registering-Supporter**।

साधन मूल्यांकन के लिए नामांकित व्यक्ति की व्यवस्था

आप किसी नामांकित व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं जो आपकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) से सम्बन्धित वित्तीय आकलन (means assessment) के बारे में सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया या वेटरन्स अफेयर्स विभाग (DVA) से पूछताछ कर सकता है या आपकी ओर से कार्य कर सकता है।

इसके बाद आपका नामांकित व्यक्ति आपकी फीस, योगदान और आवास लागत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा आपकी ओर से सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया या DVA के साथ आपकी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने में सक्षम होगा।

- सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के लिए, 'किसी व्यक्ति या संगठन को आपकी ओर से पूछताछ करने या कार्य करने के लिए अधिकृत करना (SS313) फॉर्म' भरें: **ServicesAustralia.gov.au/ss313**।
- DVA के लिए, 'DVA ग्राहकों के लिए नामांकित व्यक्ति के लिए वृद्ध देखभाल अनुरोध (AC019) फॉर्म' भरें: **ServicesAustralia.gov.au/ac019**।

अपनी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) के बारे में शिकायत करना

यदि आपको या किसी अन्य को मिल रही देखभाल के बारे में आपको कोई चिंता है, तो इसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, आपको अपने प्रदाता से बात करनी चाहिए। वृद्ध देखभाल अधिनियम (एज्ड केयर एक्ट) के तहत, सभी प्रदाताओं के लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करना आवश्यक है।

यदि आप अपने प्रदाता के समक्ष कोई समस्या उठाते हैं, तो उन्हें आपकी बात सुननी होगी तथा शीघ्रता एवं निष्पक्षता से जवाब देना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको सजा दिए जाने के डर के बिना वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग (एज्ड केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी कमीशन) (आयोग) के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का अधिकार है।

आयोग आपकी चिंता या शिकायत का समाधान करने में आपकी सहायता कर सकता है। वे आपको अपने सेवा प्रदाता से सीधे बात करने के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं।

चिंता व्यक्त करना सुरक्षित और आसान है। आप गोपनीय या गुमनाम शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुन सकते हैं। शिकायत करना 'कठिनाई पैदा करना' नहीं होता है - इससे देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है तथा समान समस्या से जूझ रहे अन्य लोगों को भी मदद मिल सकती है।

आप कई तरीकों से आयोग से संपर्क कर सकते हैं:

- वेबसाइट: **AgedCareQuality.gov.au/Complaints-Concerns**
- मुफ्त कॉल: **1800 951 822**
- डाक: Aged Care Quality and Safety Commission
GPO Box 9819
[आपका राजधानी शहर] [आपका राज्य/टेरिटरी]

पक्षसमर्थन, सूचना और सहायता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार वरिष्ठ निकायों और अन्य समूहों के साथ मिलकर काम करती है जो वृद्ध लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व और वकालत करते हैं, उदाहरण के लिए, एज्ड केयर काउंसिल ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑन द एजिंग (सीओटीए), नेशनल एज्ड केयर एडवाइजरी काउंसिल और ओल्डर पर्सन्स एडवोकेसी नेटवर्क (ओपीएएन)।

सरकार राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल पक्षसमर्थन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए OPAN को वित्त पोषित करती है। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा वित्तपोषित वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) पाने का प्रयास करने वाले या इसे प्राप्त करने वाले वृद्ध लोगों, उनके परिवारों या समर्थकों को निःशुल्क, गोपनीय और स्वतंत्र जानकारी और सहायता प्रदान करता है।

OPAN के वृद्ध देखभाल पक्षसमर्थक निम्नलिखित में आपकी मदद कर सकते हैं:

- अपने वृद्ध देखभाल अधिकारों को समझने और उनका प्रयोग करने में
- अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वृद्ध देखभाल सेवाओं का पता लगाने में और
- अपने सरकारी वित्त पोषित वृद्ध देखभाल प्रदाता (एज्ड केयर प्रोवाइडर) के साथ समस्याओं को हल करने में।

यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो आप **एज्ड केयर एडवोकेसी लाइन** को **1800 700 600** पर कॉल करके वृद्ध देखभाल अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। आपका संपर्क आपके राज्य या टेरिटरी में वृद्ध देखभाल पक्षसमर्थन संगठन से स्थापित किया जाएगा।

OPAN.org.au पर जाएं।



अधिक सहायता

अनुवाद और दुभाषिया सहायता

अनुवाद और दुभाषिया सेवाओं के लिए इस पर कॉल करें:

अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस नेशनल) - **131 450**, ऑपरेटर को वह भाषा बताएँ जो आप बोलते हैं और उन्हें My Aged Care को **1800 200 422** पर कॉल करने के लिए कहें।

एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी व्याख्या सेवाओं के लिए, कॉल करें:

My Aged Care – **1800 200 422** पर कॉल करें और दुभाषिया के लिए कहें।

उपलब्ध भाषाओं की सूची देखें: **MyAgedCare.gov.au/Accessible-All**।

सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटिंग सेवाओं के लिए कॉल करें:

डेफ कनेक्ट – **1300 773 803** या ईमेल **Interpreting@DeafConnect.org.au**।

काफी समय पहले संपर्क करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुभाषिया उपलब्ध है।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **DeafConnect.org.au**।

यदि आप बधिर हैं, सुनने में कठिनाई है, या बोलने या संचार करने में समस्या है, तो इस पर कॉल करें:

NRS वेबसाइट पर अपना पसंदीदा कॉल चैनल चुनकर राष्ट्रीय रिले सेवा (NRS) को। एक बार चयन हो जाने पर, एनआरएस से **1800 200 422** पर My Aged Care को कॉल करने के लिए कहें।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **AccessHub.gov.au/About-The-NRS**।

डिमेंशिया (मनोभ्रंश) संबंधी सहायता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार सभी वृद्ध देखभाल प्रदाताओं से अपेक्षा करती है कि वे डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सेवाएं प्रदान करें।

- **राष्ट्रीय डिमेंशिया सहायता कार्यक्रम (NDSP)** डिमेंशिया से पीड़ित लोगों, उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और प्रतिनिधियों के लिए कई तरह की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं पूरे ऑस्ट्रेलिया में फोन, ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हैं, और इनमें सूचना, शिक्षा, परामर्श, सहायता गतिविधियां, सहकर्मी मार्गदर्शन और सलाह शामिल हैं।

डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय डिमेंशिया हेल्पलाइन से संपर्क करें - निःशुल्क कॉल **1800 100 500**, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन।

और अधिक जानकारी के लिए **Health.gov.au/NDSP** पर जाएं।

- **डिमेंशिया व्यवहार प्रबंधन सलाहकारी सेवा (DBMAS)** ऐसे लोगों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करती है, जब डिमेंशिया के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण किसी व्यक्ति की देखभाल या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रशिक्षित परामर्शदाता सेवा प्रदाताओं और डिमेंशिया के साथ जीवन जीने वाले लोगों की देखरेख करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने के लिए किसी भी स्थान या परिसर में काम करते हैं।

डिमेंशिया सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से संपर्क करें - निःशुल्क कॉल **1800 699 799**, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन।

DBMAS पर और अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएँ:
Health.gov.au/DBMAS।

डिमेंशिया संबंधी सहायता पर और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं:

MyAgedCare.gov.au/Living-Memory-Loss-Dementia-Or-Depression।

सामाजिक समर्थन

यदि आप अकेलापन या सामाजिक रूप से अलग-थलग महसूस करते हैं, तो आप एज्ड केयर वालंटियर विजिटर्स स्कीम (ACVVS) के माध्यम से स्वयंसेवक का अनुरोध कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सपोर्ट ऐट होम सेवाएं प्राप्त कर रहा है या सपोर्ट ऐट होम प्राथमिकता प्रणाली पर है, आवेदन कर सकता है। आपका देखभाल साथी या प्रदाता भी एक स्वयंसेवी आगंतुक की व्यवस्था करने में आपकी मदद कर सकता है।

आप स्वयंसेवक आगंतुक के लिए यहां आवेदन कर सकते हैं: **Health.gov.au/Our-Work/Aged-Care-Volunteer-Visitors-Scheme-ACVVS/Request**।

स्वास्थ्य, विकलांगता एवं वृद्धावस्था विभाग की वेबसाइट पर ACVVS के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें: **Health.gov.au/ACVVS**।

बेघर होना या फ़ालतू जमा करने के व्यवहार में सहायता

निम्नलिखित लोगों के लिए सहायता उपलब्ध है:

- जो जमाखोरी वाले व्यवहार के साथ जीवन जी रहे हैं
- जो गंदे वातावरण में रह रहे हैं
- जिन्हें बेघर होने का जोखिम है
- जो अपने लिए आवश्यक वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सहायताएँ पाने में असमर्थ हैं।

सहायताओं में शामिल हैं:

- देखभाल योजना
- विशेषज्ञ सहायता सेवाओं के लिंक
- एक बार की साफ-सफाई।

यदि आपको केयर फाइंडर कार्यक्रम के माध्यम से इसलिए मदद मिल रही है क्योंकि आप बेघर हैं या आपको बेघर होने का जोखिम है तो आप राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (कामनवेल्थ होम सपोर्ट प्रोग्राम) की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी पात्र हो सकते हैं।

My Aged Care - **1800 200 422** पर निःशुल्क कॉल करके से संपर्क करें या सहायता के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के सर्विस सेंटर पर जाएं।



विविध आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सहायता

ऑस्ट्रेलियाई सरकार यह मानती है कि हमारा समाज विविधतापूर्ण है और लोगों के जीवन के अनुभव व्यापक हैं।

विविध आवश्यकताओं वाले लोगों को उनके लिए आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद देने के लिए कई कार्यक्रम और सेवाएं उपलब्ध हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी विशेष सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं जो विशिष्ट रूप से विशेष आवश्यकताओं वाले समूहों को सेवाएं प्रदान करती हैं। आप My Aged Care के माध्यम से या अपने वृद्ध देखभाल आकलनकर्ता (एज्ड केयर अस्सेसर) से पूछकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सेवा प्रदाताओं को देखभाल और सेवाएं प्रदान करते समय विशिष्ट और विविध आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनमें सहयोग करना चाहिए। किसी भी सेवा प्रदाता को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

- एबोरिजनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग, जिनमें स्टोलन जेनरेशन के सर्वाइवर (उत्तरजीवी) शामिल हैं
- भूतपूर्व सैनिक या शहीद सैनिकों की विधवाएँ
- सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले लोग
- आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोग
- बेघर लोग या जिन्हें बेघर होने का खतरा हो
- माता-पिता और बच्चे जो जबरन गोद लिए जाने या छीन लिए जाने के कारण एक-दूसरे से अलग हो गए हों
- संस्थागत बाल यौन शोषण के वयस्क उत्तरजीवी
- देखभाल छोड़कर वापस स्वतंत्र रूप से रहना शुरू करने वाले (केयर लीवर्स) हैं, जिनमें फॉरगोटन ऑस्ट्रेलियाई और भूतपूर्व बाल प्रवासी शामिल हैं, जिन्हें घर से बाहर देखभाल में रखा गया था
- लेस्बियन (समलैंगिक महिलाएँ), गे (समलैंगिक पुरुष), बाइसैक्सुअल (उभयलिंगी), ट्रांस/ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स या अन्य यौन अभिविन्यास या लिंग विविध या शारीरिक विविधता वाले
- विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति
- न्यूरोडायवर्जेंट लोग
- बहरे, बधिर-अंधे, नज़र या सुनने की किसी समस्या से ग्रस्त लोग
- ग्रामीण, सुदूर या बहुत सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग।

एल्डर केयर स्पोर्ट सहायता

एल्डर केयर स्पोर्ट कार्यबल वृद्ध एबोरिजनल और टोरेस स्ट्रेट द्वीप वासी लोगों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं को उनकी शारीरिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाएं प्राप्त करने में मदद करता है। राष्ट्रीय एबोरिजनल समुदाय नियंत्रित स्वास्थ्य संगठन देश भर में अपने साझेदार संगठनों के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रदान करता है।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Elder-Care-Support-Program**।

देखभाल खोजकर्ता (care finder) से सहायता

देखभाल खोजकर्ता (care finder) उन वृद्ध लोगों की सहायता करते हैं, जिन्हें समुदाय में वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) सेवाओं और अन्य सहायताओं को पाने के लिए गहन सहायता की आवश्यकता होती है। यह उन अतिसंवेदनशील लोगों के लिए एक निःशुल्क सेवा है, जिनके पास सहायता देने के लिए कोई नहीं है। इसमें वे लोग शामिल हैं:

- जिन्हें संज्ञानात्मक या साक्षरता संबंधी समस्याओं के कारण बातचीत करने में कठिनाई होती है
- जिन्हें जानकारी को समझना कठिन लगता है
- जो वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) या सरकार के साथ जुड़ने में अनिच्छुक हैं
- या यदि उन्हें सेवाएं नहीं मिलती हैं तो वे असुरक्षित स्थिति में होते हैं।

अपने क्षेत्र में देखभाल खोजकर्ताओं की सूची देखने के लिए My Aged Care वेबसाइट पर जाएं।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **MyAgedCare.gov.au/Help-Care-Finder**।

फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल्स ऑस्ट्रेलिया

फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल्स ऑस्ट्रेलिया (FECCA) एक नेशनल पीक बॉडी (राष्ट्रीय शिखर निकाय) है जो सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। FECCA यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि सांस्कृतिक या भाषाई बाधाओं के कारण कोई भी पीछे न छूट जाए।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **FECCA.org.au**।

सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त देखभाल में भागीदार (Partners in Culturally Appropriate Care, PICAC)

PICAC राज्य और टेरिटरी संगठन हैं जो सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध वृद्ध लोगों और उनके परिवारों को उनकी वृद्ध देखभाल (एज्ड केयर) आवश्यकताओं के बारे में सोचे-समझे निर्णय लेने में मदद करते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: **PICACAlliance.org**।

वृद्ध लोगों के प्रति दुर्व्यवहार और बुरे बर्ताव को समाप्त करना

वृद्ध लोगों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार कभी भी ठीक नहीं होता है। दुर्व्यवहार शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक, वित्तीय या उपेक्षापूर्ण हो सकता है। इससे नुकसान, परेशानी तथा सम्मान एवं प्रतिष्ठा की हानि होती है। वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार और बुरा बर्ताव मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

यदि आप दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दुर्व्यवहार का सामना कर रहा हो सकता है, तो सहायता और समर्थन उपलब्ध है।

जानकारी या सलाह के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हों:

- निःशुल्क कॉल 1800ELDERHelp या **1800 353 374**।
- और अधिक जानकारी के लिए **Compass.info** पर जाएं।
- आपातकालीन स्थिति में **000** पर कॉल करें।

देखभालकर्ताओं के लिए सहायता

केयरर गेटवे (Carer Gateway) आपके देखभालकर्ता को उनकी देखरेख करने की भूमिका में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत, फोन और ऑनलाइन सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

- सप्ताह के दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच **1800 422 737** पर निःशुल्क कॉल करें, तथा स्थानीय केयरर गेटवे सेवा प्रदाता से बात करने के लिए विकल्प 1 चुनें।
- जानकारी, सलाह और संसाधनों के लिए **CarerGateway.gov.au** वेबसाइट पर जाएं।
- और अधिक संसाधनों, सेवाओं और सहायता समूहों के लिए My Aged Care की वेबसाइट **MyAgedCare.gov.au/For-Carers** पर जाएं।



टिप्पणियाँ



MyAgedCare.gov.au
1800 200 422

इस प्रकाशन में सभी जानकारी 1 नवंबर 2025 से सही है।